Neutral Citation
2019:CGHC:26318

एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
एस.ए. क्रमांक 516/2003

1. रामसरीख तिवारी (मृत) उत्तराधिकारीयों की ओर से धनंजय तिवारी माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक- 03-07-2019 के अनुसार।

1-ए.(विलोपित) श्रीमती ददकाली देवी माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 03-07 के अनुसार- 2019.

1-बी.धनंजय तिवारी पुत्र स्वर्गीय रामसरीख तिवारी, उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी ग्राम जामवंतपुर, डाकघर तातापानी, जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़

1-सी.भरदुल तिवारी पुत्र स्वर्गीय रामसरीख तिवारी उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी ग्राम जामवंतपुर, पोस्ट ऑफिस तातापानी, जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ

----------**अपीलकर्ता**

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. रामनारायण तिवारी (मृत्यु) उत्तराधिकारीयों की ओर से गजेन्द्र तिवारी माननीय न्यायालय के दिनांक- 05-10-2018 के अनुसार।
1.1 - (ए) गजेंद्र तिवारी पुत्र स्वर्गीय श्री रामनारायण तिवारी उम्र लगभग 58 वर्ष वर्ष निवासी केनाबांध, अंबिकापुर, तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)
1.2 - (बी) राजेंद्र तिवारी पुत्र स्वर्गीय श्री रामनारायण तिवारी उम्र लगभग 56 वर्ष वर्ष निवासी पुलिस लाइन के पीछे, बौरीपारा, अंबिकापुर, तहसील अंबिकापुर, ज़िला सरगुजा छत्तीसगढ
1.3 - (सी) रवीन्द्र तिवारी पुत्र स्वर्गीय श्री रामनारायण तिवारी उम्र लगभग 54 वर्ष वर्ष निवासी ग्राम जामवंतपुर, पोस्ट तातापानी, तहसील रामानुजगंज, जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ
1.4 - (डी) सुरेंद्र तिवारी पुत्र स्वर्गीय श्री रामनारायण तिवारी उम्र लगभग 52 वर्ष वर्ष निवासी ग्राम जामवंतपुर, पोस्ट तातापानी, तहसील रामानुजगंज, ज़िला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ
1.5 - (ई) लीलावती देवी, पत्नी श्री रामनारायण तिवारी, उम्र लगभग 75 वर्ष निवासी ग्राम जामवंतपुर, पोस्ट तातापानी, तहसील रामानुजगंज, जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़

2. माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 05-10-2018 के अनुसार विलोपित (छोहाड़ा देवी) जिला: सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़

3. श्रीमती. मखोला देवी पत्नी जीतबंधन महतो उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी ग्राम जामवंतपुर तहसील पाल जिला सरगुजा छत्तीसगढ़

4. श्रीमती. द्रोपदी देवी पुत्री नाथून प्रसाद कुसवाहा उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी ग्राम नगरा तहसील रामानुजगंज जिला सरगुजा छत्तीसगढ़

5. कलेक्टर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य

----------**उत्तरदाता**

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण : श्री यू.एन.अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता,
सुश्री रक्षा अवस्थी, अधिवक्ता
अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादीगण : श्री एच.बी.अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता,
सुश्री शेफाली अरोड़ा, अधिवक्ता

: माननीय श्री न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव :

बोर्ड पर आदेश

19/09/2019

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह अपील अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, लिंक कोर्ट, रामानुजगंज, जिला-सरगुजा द्वारा सिविल अपील संख्या 54-ए/02 में पारित दिनांक 17/07/2003 के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध है, जिसके तहत वादी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है तथा वाद में संलग्न अनुसूची-डी में शामिल भूमि के संबंध में स्वामित्व, विभाजन एवं पृथक कब्जे की घोषणा के उसके दावे को भी स्वीकार किया गया है, लेकिन वादी के इस दावे को खारिज कर दिया गया है कि अनुसूची-बी एवं अनुसूची-सी में शामिल संपत्ति उत्तराधिकार के माध्यम से हस्तांतरित हुई है तथा विभाजन एवं पृथक कब्जे पर वादी को हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है।

2. वादी-रामसरीख तिवारी और प्रतिवादी क्रमांक 1-रामनारायण तिवारी भाई थे। प्रतिवादी क्रमांक 2-छोहदा देवी वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के तीसरे भाई विद्या तिवारी की विधवा हैं। वादी-रामसरीख, प्रतिवादी-रामनारायण और मृतक भाई-विद्या तिवारी तीनों एक ही रामप्यारे के पुत्र थे। रामप्यारे का एक भाई-रामदुलारे था, जिसका एक ही पुत्र परशुराम था। परशुराम का विवाह रुखमणी से हुआ था। परशुराम की मृत्यु हो गई और उसके बाद उनकी पत्नी रुखमणी की भी मृत्यु हो गई। वे निःसंतान थे। उपरोक्त तथ्यों पर पक्षकारों द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है।

3. अपीलकर्ता/वादी ने वाद दायर कर मांग की है कि अनुसूची-ए, बी, सी और डी में वर्णित संपत्तियों के संबंध में वादी के हिस्से की सीमा तक उसका स्वामित्व घोषित किया जाए और विभाजन के बाद, जिस हिस्से का वह हकदार है और दावा किया है, उसका पृथक से कब्जा भी दिया जाए। वाद में वादी का दावा अन्य बातों के साथ-साथ इस अभिवचन पर आधारित था कि वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 तथा मृतक भाई विद्या तिवारी के पिता रामप्यारे ग्राम जामवंतपुर के 'गौटिया' थे और उस हैसियत से 'मनवर' भूमि के स्वामी थे। ये भूमि 'सरगुजा' रियासत के अंतर्गत आने वाले गांव में स्थित थी। आगे यह भी अभिवचन किया है कि 22.35 एकड़ कृषि भूमि उनके पिता रामप्यारे के नाम पर दर्ज थी और उनकी मृत्यु के बाद, पक्षकारों, वादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 और प्रतिवादी क्रमांक 2 के नाम नामांतरण करके दर्ज की गयी, जिसका वर्णन अनुसूची-ए में किया गया है।

आगे यह भी अभिवचन किया है कि 9.52 एकड़ भूमि परशुराम की पत्नी रुखमणी के नाम पर दर्ज थी। परशुराम रामदुलारे का बेटा था। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उस गांव का पटेल होने का अनुचित लाभ उठाते हुए उस भूमि को अपने नाम दर्ज करा लिया, जिसका विवरण अनुसूची-बी में है। वादी का वाद यह था कि इस भूमि के संबंध में वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 दोनों बराबर हिस्से के हकदार हैं, लेकिन प्रतिवादी ने अवैध रूप से नामांतरण के माध्यम से अपना नाम दर्ज करा लिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जहां तक अनुसूची-सी में वर्णित संपत्ति का प्रश्न है, वादी का वाद यह था कि यह वह भूमि थी जो उनके पिता रामप्यारे के पास 'मनवर' भूमि के रूप में थी, जो गौटिया (मालिक/ठेकेदार) थे। वादी और प्रतिवादी सभी इस संपत्ति में भी बराबर हिस्से के हकदार हैं, किन्तु प्रतिवादी ने अवैध रूप से इस भूमि के संबंध में भी अपना नाम दर्ज करा लिया है।

वादी ने यह भी अभिवचन किया है कि एक अन्य खसरा नंबर 217 में 0.721 हेक्टेयर भूमि वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम दर्ज है और अनुसूची-डी में वर्णित है और वादी, इसलिए, उचित घोषणा और विभाजन के साथ-साथ इस भूमि पर पृथक कब्जे का भी हकदार है।

4. प्रतिवादी 1 और 2 अर्थात रामनारायण और छोहादा देवी, विद्या तिवारी की पत्नी ने संयुक्त जवाबदावा प्रस्तुत किया। 4 अनुसूची - ए और अनुसूची - डी में वर्णित संपत्ति में वादी के दावे को स्वीकार करते हुए, वादी का अनुसूची-ए और अनुसूची-डी में वर्णित संपत्ति में 1/3 हिस्सा, अनुसूची-बी और अनुसूची-सी में वर्णित संपत्ति के संबंध में वादी के दावे को विशेष रूप से यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि जहां तक अनुसूची-बी संपत्ति का संबंध है, वह भूमियां प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर बहुत पहले ही नामांतरित हो चुकी हैं और वादी के पास उक्त भूमि के संबंध मे कोई हक नहीं है। जहां तक अनुसूची-सी संपत्ति का संबंध है, प्रतिवादियों ने विशेष रूप से इस बात से इनकार किया कि यह संपत्ति उनके पिता रामप्यारे के पास 'मनवार' भूमि के रूप में थी। प्रतिवादियों के अनुसार, यह 'मनवार' भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में उसके कब्जे के आधार पर मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 190 के प्रावधानों के तहत बंदोबस्त की गई थी, जो चुनौती से परे है क्योंकि वादी का इन भूमियों के संबंध में कोई हित या हक नहीं था। खसरा क्रमांक 119/4 में 0.656 हेक्टेयर भूमि के दूसरे भाग के संबंध में प्रतिवादी का मामला यह था कि इसे प्रतिवादी क्रमांक 1 ने शैलेन्द्र कुमार से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 09/03/1965 के माध्यम से क्रय किया था और क्रय तिथि से प्रतिवादी क्रमांक 1 उस भूमि पर काबिज है और इसलिए वादी का उक्त भूमि के संबंध में कोई अधिकार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अनुसूची-ए, बी, सी और डी में वर्णित संपत्तियों से संबंधित छह वाद प्रश्न निमिर्त किए है। यद्यपि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह माना है कि वादी अनुसूची-ए में वर्णित संपत्ति में विभाजन का हकदार था, शेष अनुसूची-बी, सी, डी संपत्तियों के संबंध में वादी का दावा खारिज कर दिया गया।

6. उक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर, जिसके द्वारा अनुसूची-बी, सी, डी संपत्ति के संबंध में वादी के दावे को खारिज कर दिया गया था, एक अपील दायर की गई थी। विद्वान निचली अपीलीय न्यायालय ने जहां तक अनुसूची-बी और अनुसूची-सी संपत्ति का संबंध है, विद्वान विचारण् न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की, हालांकि,

अनुसूची-डी में शामिल संपत्ति के संबंध में, प्रतिवादी की स्थिति और उनके इस स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए कि वादी भी हिस्सेदारी का हकदार था, अपील को आंशिक रूप से इस सीमा तक अनुमति दी गई थी कि वादी को अनुसूची-डी में वर्णित संपत्ति में हिस्सेदारी का भी हकदार माना गया था।

जहां तक अनुसूची-बी और अनुसूची-सी की संपत्ति के संबंध में वादी के दावे का संबंध है, वादी ने यह दूसरी अपील प्रस्तुत की है। यह अपील विधि के निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर स्वीकार की गई -

> "(ए)" क्या विद्वान निचली अपीलीय न्यायालय यह मानने में विधिक रूप से उचित थी कि वादी का वाद-पत्र की अनुसूची-बी में शामिल संपत्ति के संबंध में विभाजन का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपना स्वामित्व पूर्ण कर लिया था?
>
> (बी) क्या विद्वान निचली अपीलीय न्यायालय का यह मानना विधिक तौर पर उचित था कि रुखमणी देवी की मृत्यु के बाद, उनके पति से प्राप्त अनुसूची-बी में वर्णित संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत उनके पति के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होगी?
>
> (सी) क्या विद्वान निचली अपीलीय न्यायालय ने यह गलत निष्कर्ष दर्ज किया कि वादी यह साबित करने में विफल रहे कि अनुसूची-सी में शामिल भूमि रामप्यारे द्वारा गौटिया भूमि के रूप में रखी गई थी?
>
> (डी) क्या विद्वान निचली अपीलीय न्यायालय का यह मानना उचित था कि अनुसूची-सी में शामिल भूमि के विभाजन के उनके दावे के संबंध में वादी का वाद सीमा द्वारा वर्जित था?"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जहां तक अनुसूची-बी संपत्ति का संबंध है, यह माना जाता है कि यह संपत्ति रूखमणी देवी, पत्नी परशुराम के पास है और यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि उनकी मृत्यु निःसंतान हुई, रूखमणी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति, विधि के अनुसार, उनके पति परशुराम के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हुई, जो वादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 और उनके तीसरे भाई विद्या तिवारी हैं, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई और उनकी विधवा छोहाड़ा देवी/प्रतिवादी क्रमांक 2 जीवित हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षेप में '1956 का

अधिनियम') की धारा 15 और धारा 16 में निहित प्रावधानों का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया है कि रुखमणी देवी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति 1956 के अधिनियम की धारा 16, नियम 3 के साथ धारा 15 (2) (बी) में निहित प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित होगी। निचली अदालतों ने मामले के स्वीकृत तथ्यों पर विधिक स्थिति को समझने और लागू करने की पूरी तरह से अनदेखी की हैं।

8. जहां तक अनुसूची-सी में शामिल संपत्ति के संबंध में वादी के दावे को अस्वीकार करने का प्रश्न है, यह तर्क है कि केवल इसलिए कि मध्य प्रदेश स्वामित्व अधिकार (संपदा, महल, हस्तांतरित भूमि) अधिनियम, 1950 (संक्षेप में '1950 का अधिनियम') की धारा 54 के तहत एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम रैयती (किराएदार) के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, फिर भी, संपत्ति एक संयुक्त परिवार की संपत्ति बनी रही क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम ज्येष्ठ जीवित पुत्र होने की हैसियत से दर्ज किया गया था, ज्येष्ठाधिकार के नियम को लागू करते हुए, हालांकि भूमि उनके पिता रामप्यारे द्वारा 'मनवार' भूमि के रूप में धारण की गई थी और यह एक संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, केवल उपायुक्त द्वारा अधिनियम 1950 की धारा 54 के तहत पारित आदेश के तहत प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम दर्ज करने से प्रतिवादी क्रमांक 1 को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस अभिवचन के समर्थन में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा एस.ए. संख्या 455/2001 (श्रीमती रामबती बाई एवं अन्य बनाम श्यामलाल गोंड) दिनांक 22/01/2019 को निर्णीत तथा **टेकाराम बनाम अमोलाबाई, 1963 जेएलजे 611** के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. जहां तक प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व के निर्धारण के संबंध में विधि के सारवान प्रश्न (ए) का संबंध है, यह तर्क दिया गया है कि एक बार जब संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति पाई जाती है, तो सह-स्वामी के कब्जे को अन्य सह-स्वामियों के स्वामित्व और हित के प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादियों द्वारा न तो बेदखली का कोई तर्क दिया गया है और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और इस कारण् , केवल इसलिए कि प्रतिवादी क्रमांक 1 निरंतर कब्जे मे

रहा , यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने वादी को बेदखल करके प्रतिकूल कब्जे के द्वारा अपना हक सिद्ध कर लिया है।

यह भी तर्क किया गया है कि किसी अभिवचन के अभाव में, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि राजस्व कार्यवाही में वादी को नोटिस दिया गया था, अथवा उसने उक्त कार्यवाही में भाग लिया था और वादी की आपत्ति के बावजूद, प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम वादी के नाम को छोड़कर दर्ज किया गया था और वादी ने इसे चुनौती नहीं दी और इस तरह प्रतिवादी को वादी के हित के प्रतिकूल कब्जे का उपभोग करने की अनुमति दी गई , एक सह-स्वामी को दूसरे द्वारा बेदखल करने का कोई मामला नहीं कहा जा सकता है। इस निवेदन के समर्थन में, **लुंजा और अन्य बनाम श्रीमती बुगाड और अन्य, एआईआर 2019 सीजी 83 के मामले में निर्णय पर भरोसा किया गया है।**

10. विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न (डी) पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान निचली अपीलीय न्यायालयो का निष्कर्ष गलत कानूनी विधिक आधार पर आगे बढ़ता है कि 26/12/1951 को डिप्टी कमिश्नर द्वारा पारित आदेश (प्रदर्श.डी/II) संयुक्त परिवार की संपत्ति के अन्य सह-स्वामी के अधिकार को अस्वीकार करते हुए प्रतिवादियों के अनन्य कब्जे की घोषणा की थी। यह तर्क दिया गया है कि आदेश (प्रदर्श.डी/II) 1950 के अधिनियम की धारा 54 के तहत पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य केवल मालिकाना अधिकारों को समाप्त करना, सीमित किरायेदारी अधिकार प्रदान करना था और इससे अधिक कुछ नहीं। रामबती (सुप्रा) के मामले में दिये गए निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम रैयती (किराएदार) के रूप में दर्ज करने मात्र से वादी का दावा खारिज या समाप्त नहीं हो जाता और जैसा कि वादी ने दलीलों और साक्ष्यों तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 के साक्ष्यों से स्थापित किया है कि भूमि पर उनके पिता रामप्यारे का स्वामित्व था, जिसे 'गौतियायी' भूमि के रूप में जाना जाता है, प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम दर्ज करने मात्र से वादी को उक्त संपत्ति में विभाजन का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता और इसलिए, वादी को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता कि वादी ने उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क किया है कि निचली न्यायालयो ने अभिलेखों पर प्रस्तुत अभिवचनो और साक्ष्यों की गहन जांच के बाद, वादी के अनुसूची ए और डी की संपत्तियों में हिस्सेदारी के दावे को स्वीकार कर लिया है, जिसे प्रतिवादी ने संयुक्त परिवार की संपत्ति माना है, जो उनके पिता रामप्यारे के नाम पर दर्ज है, यह भी माना गया है कि वादी यह साबित करने में विफल रहा कि अनुसूची बी की भूमि इस आधार पर विभाजित की जा सकती है कि रुखमणी की संपत्ति उसके पति के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है। उनके अनुसार, जब रुखमणी भाग गई और प्रतिवादी क्रमांक 1 ने जमीन पर खेती करना जारी रखा, तो उसका नाम वर्ष 1965 में राजस्व अभिलेखों (प्रदर्श डी/3) में विधिवत दर्ज किया गया था। वादी को रुखमणी की ऐसी संपत्ति पर प्रतिवादी क्रमांक 1 के वास्तविक भौतिक कब्जे की पूरी जानकारी और सूचना थी, जो वादी के हिस्से के दावे के पूरी तरह से प्रतिकूल थी, वादी को राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम नामांतरण करने के आदेश को चुनौती देकर कब्जा वापस पाने के लिए वाद दायर करना आवश्यक था, जो कि नामांतरण के उक्त आदेश के पारित होने की तिथि अर्थात 16/10/1965 से तीन वर्ष की अवधि के भीतर था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी ने न केवल अभिवचन किया है बल्कि सबूत भी पेश किए हैं कि रुखमणी के जीवनकाल के दौरान भी प्रतिवादी क्रमांक 1 अकेले ही जमीन पर खेती कर रहा था और किराया दे रहा था। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया गया है कि वादी इस संपत्ति में किसी भी हिस्से का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि रुखमणी द्वारा छोड़ी गई यह संपत्ति 1956 के अधिनियम की धारा 15 और धारा 16 के तहत वादी और अन्य को हस्तांतरित होगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अगला अभिवचन यह है कि अनुसूची-सी की संपत्ति प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर स्थिर रखी गई थी, जिसमें वादी और उसके दूसरे भाई - विद्या तिवारी या उसकी विधवा - छोहाड़ा देवी सहित परिवार के अन्य सभी सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था, 1951 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई उचित जांच के बाद, जब मालिकाना अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम इस तथ्य के आधार पर दर्ज किया गया थी कि भूमि तत्कालीन स्वामी की निजी खेती में थी। इस आदेश को वादी द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई और परिसीमा अवधि के

भीतर इस आदेश को किसी भी चुनौती के अभाव में, यह आदेश अंतिम हो गया। इसलिए, इस संपत्ति में हिस्सेदारी की घोषणा के लिए वाद, बिना किसी चुनौती के, विचारणीय नहीं है और इसलिए निचली न्यायालयों ने अनुसूची-बी और अनुसूची-सी में शामिल संपत्ति के संबंध में दोनों दावों को परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित मानते हुए सही रूप से खारिज कर दिया है। यह भी तर्क किया गया है कि प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्ट साक्ष्यों के अनुसार रामप्यारे, जो कि गौटिया थे, उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी - रामनारायण गौटिया बन गए तथा इस प्रकार कार्य करते हुए, अनुसूची-सी की सम्पत्तियां अधिनियम, 1951 की धारा 54 के अन्तर्गत वैधानिक आदेश द्वारा उनके नाम पर किरायेदार के रूप में स्थापित कर दी गईं। अनुसूची-सी की भूमि पर वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता द्वारा स्वामित्व के रूप में धारित किसी विश्वसनीय दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य के अभाव में, अनुसूची-सी में सम्मिलित सम्पत्ति के सम्बन्ध में वादी के दावे को भी निम्न न्यायालयों द्वारा उचित रूप से अस्वीकार किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

14. विद्वान विचारण न्यायालय ने अनुसूची ए की संपत्ति के संबंध में वादी के दावे को स्वीकार कर लिया तथा विद्वान अवर अपीलीय न्यायालय ने अनुसूची-डी की संपत्ति के संबंध में भी दावे को स्वीकार कर लिया, जिसे पक्षों की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति माना गया है, जबकि वादी के अनुसूची बी तथा अनुसूची सी की संपत्तियों में हिस्सेदारी के दावे को दोनों ही न्यायालयों ने खारिज कर दिया है।

15. विधि का सारवान प्रश्न (ए) -

वादी के वाद की अनुसूची बी में शामिल संपत्ति के संबंध में दावे को इस निष्कर्ष पर खारिज कर दिया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम 1965 से राजस्व अभिलेखों में दर्ज तथा नामांतरित किया गया था तथा वादी को अपने स्वामित्व की घोषणा तथा निर्धारित अवधि तथा परिसीमा के भीतर विभाजन तथा कब्जे की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। विद्वान अवर अपीलीय

न्यायालय ने ऐसा करते हुए एक सह-स्वामी के निष्कासन सिद्धांत तथा मालिकों/सह-स्वामियों के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व की पूर्णता को लागू किया है।

सरूप सिंह बनाम बंतो एवं अन्य 2005 (8) एससीसी 330 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रतिकूल कब्जे को साबित करना प्रतिवादियों का कार्य है और परिसीमा अधिनियम की धारा 65 के अनुसार परिसीमा का आरंभिक बिंदु उस तिथि से प्रारंभ् नहीं होता जब वादी को स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होता है, बल्कि उस तिथि से प्रारंभ् होता है जब प्रतिवादी का कब्जा प्रतिकूल हो जाता है। इसके अतिरिक्त, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि 'एनिमस पॉसिडेंडी' प्रतिकूल कब्जे के तत्वों में से एक है और जब तक भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के पास अपेक्षित एनिमस नहीं होता है, तब तक निर्धारण् की अवधि प्रारंभ् नहीं होती है। उपरोक्त निर्णय के पैरा 28, 29 और 30 में की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया है-

> “28. परिसीमा अधिनियम, 1908 में संलग्न अनुसूची के अनुच्छेद 142 और 144 की शर्तों की तुलना में परिसीमा अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन आया है, जिसके अनुसार वादी के लिए न केवल अपना स्वामित्व साबित करना अनिवार्य था, बल्कि मुकदमा दायर करने की तिथि से बारह वर्ष पूर्व अपना कब्जा भी साबित करना अनिवार्य था। हालांकि, परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 64 और 65 के मद्देनजर विधिक स्थिति में परिवर्तन किया गया है। वर्तमान मामले में, वादी-प्रतिवादियों ने अपना स्वामित्व साबित कर दिया है और इस प्रकार, प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व के अधिग्रहण को साबित करना प्रथम प्रतिवादी का काम था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रथम प्रतिवादी-अपीलकर्ता ने प्रतिकूल कब्जे का कोई अभिवचन नहीं किया है। मामले के इस दृष्टिकोण से वाद वर्जित नहीं था।
>
> "29. अनुच्छेद 65 के अनुसार परिसीमा का प्रारंभिक बिंदु उस तिथि से प्रारंभ् नहीं होता है जब वादी को स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होता है, बल्कि उस तिथि से प्रारंभ् होता है जब प्रतिवादी का कब्ज़ा प्रतिकूल हो जाता है। [वसंतीबेन प्रहलादजी नायक बनाम सोमनाथ मुलजीभाई नायक, (2004) 3 एससीसी 376 देखें]
>
> "30. 'एनिमस पॉसिडेंडी' प्रतिकूल कब्जे के तत्वों में से एक है। जब तक भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के पास अपेक्षित आशय नहीं होता है, तब तक प्रतिकूल कब्जे की अवधि प्रारंभ् नहीं होती है। जैसा कि इस मामले में, अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका कब्जा वास्तविक स्वामी के विपरीत नहीं है, तार्किक परिणाम यह है कि उसके पास अपेक्षित आशय नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

था। [देखें मोहम्मद मोहम्मद अली (मृत) उत्तराधिकारी की ओर से बनाम जगदीश कलिता और अन्य, (2004) 1 एससीसी 271, कंडिका 21]"

16. केवल कब्ज़ा या उपयोग या अनुमेय कब्ज़ा प्रतिकूल कब्ज़े के दायरे में नहीं आता है। कब्जे को प्रतिकूल माना जाने के लिए, यह वास्तविक, खुला, प्रसिध्द **,** अनन्य और विधि में दिए गए समय की अपेक्षित परिसीमा के लिए निरंतर होना चाहिए ताकि कब्ज़ा करने वाला प्रतिकूल कब्ज़े के ज़रिए अपना स्वत्व स्थापित कर सके। "नेक वी, नेक क्लैम और नेक प्रीकारियो" के इस सुस्थापित सिद्धांत को कई निर्णयों में संक्षेप में कहा गया है।

17. निश्चित रूप से, वर्तमान मामले में विवाद अजनबियों के मध्य नहीं है, बल्कि यह ऐसा मामला है, जिसमें एक सह-स्वामी का कब्जा दूसरे सह-स्वामी के हक के प्रतिकूल घोषित किया गया है। यह भी स्थापित कानूनी स्थिति है कि सह-स्वामी द्वारा भूमि पर कब्जा, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो, उसे तब तक कोई अधिकार प्रदान नहीं कर सकता, जब तक कि वह अन्य सह-स्वामियों के प्रतिकूल न हो। जय सिंह एवं अन्य बनाम गुरमेज सिंह, 2009 (15) एससीसी 747 के मामले में, सह-हिस्सेदारों के परस्पर अधिकारों से संबंधित सिद्धांत नीचे दिए गए अनुसार तैयार किए गए थे -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"9. ध्यान देने योग्य बात यह है कि बाद में पूर्ण पीठ ने भरतु बनाम रामसरूप, 1981 पीएलजे 204 में जो निर्णय दिया, उससे पहले लक्ष्मण सिंह बनाम प्रीतम चंद, एआईआर 1970 पी एंड एच 304 में जो निर्णय दिया गया, वह तथ्यों के आधार पर भिन्न था। सह-हिस्सेदारों के पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों से संबंधित सिद्धांत इस प्रकार हैं:

(1) एक सह-स्वामी का संपूर्ण संपत्ति में और इसके प्रत्येक भाग में भी हित होता है।

(2) एक सह-स्वामी द्वारा संयुक्त संपत्ति पर कब्ज़ा करना विधि के अनुसार सभी का कब्ज़ा है, भले ही एक को छोड़कर सभी वास्तव में कब्ज़े से बाहर हों।

(3) एक बड़े हिस्से या पूरी संयुक्त संपत्ति पर कब्ज़ा करना ज़रूरी नहीं है कि बेदखली हो क्योंकि एक का कब्ज़ा सभी की ओर से माना जाता है।

(4) उपरोक्त नियम अपवाद को स्वीकार करता है जब एक सह-स्वामी को दूसरे द्वारा बेदखल किया

जाता है। लेकिन सभी की ओर से संयुक्त कब्जे की धारणा को नकारने के लिए, बेदखली के आधार पर, सह-स्वामी का कब्जा न केवल अनन्य होना चाहिए, बल्कि दूसरे के ज्ञान के प्रतिकूल भी होना चाहिए, जैसा कि जब सह-स्वामी खुले तौर पर अपना हक जताता है और दूसरे के हक को नकारता है।

(5) समय व्यतीत हो जाने से सह-स्वामी का अधिकार समाप्त नहीं होता है, जो बेदखली या परित्याग की स्थिति को छोड़कर संयुक्त संपत्ति के कब्जे से बाहर हो गया है।
(6) प्रत्येक सह-स्वामी को संयुक्त संपत्ति का पति की तरह उपयोग करने का अधिकार है, जो अन्य सह-स्वामियों के समान अधिकारों के साथ असंगत नहीं है।

(7) जहां एक सह-स्वामी अन्य सह-स्वामियों द्वारा सहमति से व्यवस्था के तहत अलग-अलग खण्ड के कब्जे में है, विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने के अलावा किसी भी निकाय के लिए दूसरों की सहमति के बिना व्यवस्था को बाधित करना विस्तृत नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. केवल एक सह-स्वामी के वास्तविक और भौतिक कब्जे के बावजूद संयुक्तता के प्रावधान को केवल तभी अस्वीकृत किया जा सकता है जब बेदखली का विशिष्ट तर्क और ठोस सबूत हो। यह पहलू **गोविंदमल बनाम आर. पेरुमल चेट्टियार और अन्य, 2006 (11) स्केल 452** के मामले में विचार हेतु आया था, जिसमें यह माना गया था कि सह-स्वामी के विरूद्ध बेदखली और प्रतिकूल कब्जे को साबित करने के लिए, निम्नलिखित प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जा सकता है-

(i) परिसीमा विधि द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय तक अनन्य कब्जा और लाभ की धारणा;
(ii) कब्जे वाले पक्ष द्वारा संपत्तियों को विशेष रूप से अपना मानते हुए व्यवहार;
(iii) बहिष्कृत सह-हिस्सेदार के यह जानने का साधन कि उसके स्वामित्व को कब्जे वाले सह-स्वामी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

नागभूषणमल (मृत) बनाम कानूनी प्रतिनिधियों बनाम सी. चंदिकेश्वरलिंगम, 2016 (4) एससीसी 434 के मामले में एक अन्य के निर्णय में, यह माना गया कि पारिवारिक

संपत्ति के विभाजन के लिए वाद में बेदखली एक कमजोर बचाव है और यह मजबूत बचाव है कि, यदि प्रतिवादी के स्वत्व से इनकार, लंबे और निर्बाध कब्जे और खुले तौर पर और दूसरे सह-स्वामी के ज्ञान के लिए अनन्य स्वामित्व के अधिकार के प्रयोग के सुसंगत और खुले तौर पर दावे को स्थापित करने में सक्षम है। इसे नीचे दिए अनुसार माना गया -

"22. इस न्यायालय ने सैयद शाह गुलाम गौस मोहिउद्दीन बनाम सैयद शाह अहमद मोहिउद्दीन कामिसुल कादरी एवं अन्य, (1971) 1 एससीसी 597 में माना कि एक सह-स्वामी का कब्जा सभी सह-स्वामियों की ओर से माना जाता है, जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि सह-स्वामी का कब्जा सह-स्वामियों के स्वामित्व के खंडन में है और यह कब्जा सह-स्वामियों को बहिष्कृत करके उनके प्रति विरोधभाव है। यह भी माना गया कि जिन पक्षों को इसके हकदार हैं, उन्हें बहिष्कृत करके और बेदखल करके उनके स्वामित्व का विस्तृत खंडन किया जाना चाहिए।

23. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पी. लक्ष्मी रेड्डी बनाम एल. लक्ष्मी रेड्डी, एआईआर 1957 एससी 314 में सह-स्वामियों के शेयरों पर बेदखली के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक शर्तों की जांच करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "4. अब, प्रतिकूल कब्जे की सामान्य शास्त्रीय आवश्यकता यह है कि यह nec vi, nec clam, nec precario होना चाहिए। (भारत के सचिव परिषद बनाम देबेंद्र लाल खान [(1933) एससीसी ऑनलाइन पीसी 65) देखें। आवश्यक कब्जा निरंतरता, प्रचार और विस्तार में पर्याप्त होना चाहिए ताकि यह दिखाया जा सके कि यह प्रतिद्वंद्वी के प्रतिकूल कब्जा है। (राधमनी देवी बनाम खुलना के कलेक्टर [(1900) एससीसी ऑनलाइन पीसी 4 देखें)। किन्तु यह पूर्ण् रूप से स्थापित है कि एक सह-स्वामी के विरूद्ध दूसरे के प्रतिकूल कब्जे को स्थापित करने के लिए यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि उनमें से एक के पास संपत्तियों का एकमात्र कब्जा और उपभोग किया जा रहा है। अपितु गैर-कब्जाधारी सह-उत्तराधिकारी को कब्जे में रखने वाले सह-उत्तराधिकारी द्वारा बेदखल किया जाना चाहिए, जो दावा करता है कि उसका कब्जा प्रतिकूल है। विधि में एक सह-उत्तराधिकारी का कब्जा सभी सह-उत्तराधिकारियों का कब्जा माना जाता है। जब एक सह-उत्तराधिकारी के पास संपत्तियों का कब्जा पाया जाता है तो यह संयुक्त स्वामित्व के आधार पर माना जाता है। कब्जे में रहने वाला सह-उत्तराधिकारी दूसरे सह-उत्तराधिकारी के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> स्वामित्व को कम करने के लिए अपनी ओर से किसी गुप्त प्रतिकूल आशय के कारण अपने कब्जे को दूसरे सह-उत्तराधिकारी के प्रतिकूल नहीं बना सकता। (कोरिया बनाम अप्पुहामी [(1912) एसी 230) देखें)। यह विधि का एक सुस्थापित नियम है कि सह-उत्तराधिकारियों के बीच प्रतिकूल स्वामित्व के दावे का सबूत होना चाहिए, साथ ही उनमें से एक द्वारा दूसरे के ज्ञान में अनन्य कब्जा और उपभोग होना चाहिए ताकि बेदखली का गठन किया जा सके। इसका यह अर्थ नहीं है कि एक पक्ष द्वारा स्पष्ट मांग की जानी चाहिए और दूसरे पक्ष द्वारा इनकार किया जाना चाहिए।"

24. **विद्या देवी बनाम प्रेम प्रकाश (1995) 4 एससीसी 496** में इस न्यायालय ने यह माना है कि:

> "28. 'बेदखली' का अर्थ सह-हिस्सेदार को संपत्ति से वास्तविक रूप से बाहर निकालना नहीं है। हालांकि, यह तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि इसे प्रतिकूल कब्जे का गठन करने के लिए आवश्यक सभी अन्य तत्वों के साथ जोड़ न दिया जाए। मोटे तौर पर, सह-स्वामी के मामले में बेदखली के अभिवचन को स्थापित करने के लिए तीन तत्व आवश्यक हैं। वे हैं (i) प्रतिकूल स्वामित्व की घोषणा, (ii) बेदखली का अभिवचन करने वाले व्यक्ति का लंबे समय तक और निर्बाध कब्जा, और (iii) अन्य सह-स्वामी के ज्ञान में और खुले तौर पर अनन्य स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग। इस प्रकार, एक सह-स्वामी, विधि के अनुसार, दूसरे सह-स्वामी के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वत्व का दावा कर सकता है, जो निश्चित रूप से विधि द्वारा निर्धारित समय के भीतर संयुक्त कब्जे के लिए वाद सहित उचित वाद दायर कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बेदखली का मतलब सह-हिस्सेदार को संपत्ति से बाहर निकालना नहीं है। हालांकि, यह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि इसे प्रतिकूल कब्जे का गठन करने के लिए आवश्यक सभी अन्य तत्वों के साथ नहीं जोड़ा जाता है।

सह-स्वामी के मामले में बेदखली की अभिवचन को स्थापित करने के लिए तीन आवश्यक तत्व होंगे (i) विरोधपूर्ण् भावना की घोषणा (ii) बेदखली का अभिवचन करने वाले व्यक्ति का लंबे समय तक और निर्बाध कब्जा और (iii) खुले तौर पर और अन्य सह-स्वामी के ज्ञान में अनन्य स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग।

जतिना खातून और अन्य बनाम एसके नजीब (मृत) एलआर और अन्य, 2018 (11) एससीसी 717 के मामले में, यह माना गया है कि भूमि के किराए और लाभ में केवल गैर-भागीदारी प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वत्व देने के लिए बेदखली नहीं है।"

19. इस मामले में बेदखली साबित करने का एकमात्र आधार यह है कि प्रतिवादियों का नाम (प्रदर्श.डी/3) के राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1965 में दर्ज किया गया था। हालाँकि, न तो यह अभिवचन किया गया है और न ही यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि यह वादी के लिए खुला था। इस बात का कोई अभिवचन या साक्ष्य नहीं है कि ये कार्यवाही उचित नोटिस के बाद की गई थी या वादी इन कार्यवाहियों में पक्षकार था और न ही यह दिखाने के लिए कोई सामग्री है कि उन कार्यवाहियों में दर्ज वादी की आपत्ति के बावजूद, प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम इस निष्कर्ष पर दर्ज किया गया था कि वादी रुखमणी की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं है और यह केवल प्रतिवादी क्रमांक 1 है जो वादी या उस मामले के लिए, किसी अन्य सह-स्वामी को छोड़कर दर्ज होने का हकदार है। इसलिए, इस संबंध में निचली अदालतों के निष्कर्ष पूरी तरह से विकृत और स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, जिसमें बेदखली का कोई विशिष्ट तर्क या साक्ष्य नहीं है। सह-स्वामी/सह-हिस्सेदार के मामले में, बेदखली का अनुमान केवल इस आधार पर नहीं लगाया जा सकता है कि उनमें से किसी एक का नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज किया गया था, खासकर तब जब इस बात का कोई सबूत न हो कि यह किसी कार्यवाही में दर्ज किया गया था जिसमें बेदखल किए गए सह-हिस्सेदार पक्षकार थे या यह उनके ज्ञान में था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न (बी)-

यह पारिवारिक वंशावली कि रामप्यारे और रामदुलारे महादेव तिवारी के पुत्र होने के कारण भाई थे, विवादित नहीं है। यह भी विवादित नहीं है कि वादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 और विद्या तिवारी रामप्यारे के पुत्र है। यह भी विवादित नहीं है कि रामदुलारे के एक पुत्र परशुराम थे और रुखमणी परशुराम की पत्नी थीं। परशुराम और रुखमणी के

बीच कोई संतान नहीं थी, यह भी संबंधित पक्षों की अभिवचनों और साक्ष्यों के मद्देनजर अभिलेख पर एक स्वीकृत स्थिति है।

21. उपरोक्त स्वीकृत तथ्यात्मक स्थिति पर, यह देखा जाना चाहिए कि रुखमणी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार का नियम कैसे लागू होगा। इस स्तर पर, यह कहना प्रासंगिक है कि यह तथ्य कि विवादित संपत्ति रुखमणी को उसके पति परशुराम से प्राप्त हुई थी, भी विवादित नहीं है और यह एक स्वीकृत तथ्य है।

इसके अतिरिक्त, किसी भी पक्ष ने यह अभिवचन नहीं किया है कि रुखमणी ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी क्रमांक 1 या किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कोई वसीयत या कोई उपहार निष्पादित किया था।

बिना वसीयत के मृत हिंदू महिला के संबंध् मे उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 और धारा 16 में निहित प्रावधान लागू होते है। दो प्रासंगिक प्रावधान नीचे उद्धृत किए गए हैं -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"15.हिंदू महिला के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम -

(1) बिना वसीयत के मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति धारा 16 में निर्धारित नियमों के अनुसार हस्तांतरित होगी,

(ए) सबसे पहले, बेटों और बेटियों (किसी भी पूर्व-मृत बेटे या बेटी के बच्चों सहित) और पति पर;

(बी) दूसरे, पति के उत्तराधिकारियों पर;

(सी) तीसरे, माता और पिता पर;

(घ) चौथा, पिता के उत्तराधिकारियों पर; और

(ङ) अंत में, माता के उत्तराधिकारियों पर।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,—
(क) किसी हिन्दू महिला को उसके पिता या माता से विरासत में मिली कोई संपत्ति, मृतक के किसी पुत्र या पुत्री (किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री की संतानों सहित) की अनुपस्थिति में, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य

उत्तराधिकारियों को उसमें निर्दिष्ट क्रम में नहीं, बल्कि पिता के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होगी; और

(ख) किसी हिन्दू महिला को उसके पति या ससुर से विरासत में मिली कोई संपत्ति, मृतक के किसी पुत्र या पुत्री (किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री की संतानों सहित) की अनुपस्थिति में, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अन्य उत्तराधिकारियों को उसमें निर्दिष्ट क्रम में नहीं, बल्कि पति के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होगी।

16. हिन्दू महिला के उत्तराधिकारियों के बीच उत्तराधिकार का क्रम और वितरण का तरीका।- धारा 15 में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों के बीच उत्तराधिकार का क्रम होगा और उन उत्तराधिकारियों के बीच निर्वसीयत संपत्ति का वितरण निम्नलिखित नियमों के अनुसार होगा, अर्थात्:

नियम 1.- धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों में से, एक प्रविष्टि में शामिल उत्तराधिकारियों को किसी भी बाद की प्रविष्टि में शामिल उत्तराधिकारियों से वरीयता दी जाएगी और उसी प्रविष्टि में शामिल उत्तराधिकारियों को एक साथ हिस्सा मिलेगा।

नियम 2.- यदि निर्वसीयत का कोई पुत्र या पुत्री निर्वसीयत की मृत्यु के समय अपने बच्चों को जीवित छोड़कर पूर्व में मृत हो गया हो, तो ऐसे पुत्र या पुत्री के बच्चे आपस में वह हिस्सा लेंगे जो ऐसा पुत्र या पुत्री निर्वसीयत की मृत्यु के समय जीवित रहते हुए लेता।

नियम 3.- धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख), (घ) और (ङ) तथा उपधारा (2) में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों को निर्वसीयत की संपत्ति का हस्तांतरण उसी क्रम में तथा उन्हीं नियमों के अनुसार होगा जैसा तब लागू होता यदि संपत्ति पिता, माता या पति की होती और ऐसा व्यक्ति निर्वसीयत की मृत्यु के तुरंत बाद उसके संबंध में निर्वसीयत मर जाता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 15 की उपधारा (1) में जहां निर्वसीयत मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार का नियम दिया गया है, वहीं उपधारा (2) में विशिष्ट स्थिति का उल्लेख है। उपधारा (2) का खंड (क) उस स्थिति में उत्तराधिकार का प्रावधान करता है, जब हिंदू महिला को संपत्ति उसके पिता या माता से विरासत में मिली हो। खंड (ख) उस स्थिति में उत्तराधिकार का नियम निर्धारित करता है, जब हिंदू महिला को संपत्ति उसके पति या ससुर से विरासत में मिली हो। वर्तमान मामले के तथ्यात्मक आधार में, चूंकि

रुखमणी को विवादित संपत्ति अपने पति से विरासत में मिली थी, इसलिए उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के तहत होगा, न कि उपधारा (1) के तहत। उपधारा (2) के खंड (बी) के अनुसार, जहां कोई संपत्ति हिंदू महिला को अपने पति या ससुर से विरासत में मिलती है, वह मृतक के बेटे या बेटी (किसी भी पूर्व-मृत बेटे या बेटी के बच्चों सहित) की अनुपस्थिति में उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्रम में उनके उत्तराधिकारियों पर नहीं बल्कि पति के उत्तराधिकारियों पर हस्तांतरित होगी। उत्तराधिकार की उपरोक्त योजना, विशेष रूप से खंड (ए) और खंड (बी) में उल्लिखित मामलों में यह सुनिश्चित करना है कि हिंदू महिला द्वारा छोड़ी गई संपत्ति उस वास्तविक स्रोत को न खोए जहां से मृतक महिला को संपत्ति विरासत में मिली थी। विधानमंडल का आशय था कि ऐसे मामले में, संपत्ति को उस स्रोत से दूर नहीं जाने दिया जाना चाहिए जिसके माध्यम से मृतक महिला को वास्तव में संपत्ति विरासत में मिली थी। **भगत राम (मृत) के मामले में एल.आर.एस. बनाम तेजा सिंह (मृत) एल.आर.एस. ए.आई.आर. 2002 एस.सी. 1**, के मामले में धारा 15 (1) (बी) के तहत उत्तराधिकार के विशेष नियम के पीछे विधायी आशय की जांच की गई और इसे निम्नानुसार माना गया -

> "8. हमें प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं दिखती। निश्चित ही, श्रीमती संती को विचाराधीन संपत्ति अपनी मां से विरासत में मिली थी। यदि किसी महिला के पास संपत्ति उसके पिता या माता से विरासत में मिली थी, तो मृतक के किसी भी बेटे या बेटी की अनुपस्थिति में, जिसमें किसी भी पूर्व-मृत बेटे या बेटी के बच्चे भी शामिल हैं, यह केवल पिता के उत्तराधिकारियों को ही मिलेगी और इस मामले में, उसकी बहन श्रीमती इंद्रो अपने पिता की एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी थी। मृतक श्रीमती संती को विचाराधीन संपत्ति अपनी मां से विरासत में मिली थी। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी विरासत अधिनियम के लागू होने के बाद होनी चाहिए। विधानमंडल का आशय स्पष्ट है कि संपत्ति, यदि मूल रूप से मृतक महिला के माता-पिता की थी, तो पिता के विधिक उत्तराधिकारियों को मिलनी चाहिए। इसी प्रकार धारा 15 की उपधारा 2 के खंड (बी) के अनुसार भी, एक हिंदू महिला को उसके पति या ससुर से विरासत में मिली संपत्ति भी समान परिस्थितियों में पति के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होगी। महिला को जिस स्रोत से संपत्ति विरासत में मिली है, वह उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के उद्देश्य से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें नहीं लगता कि यह तथ्य कि एक हिंदू महिला के पास मूल रूप से सीमित अधिकार था और बाद में उसने पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया, किसी भी तरह से धारा 15 की उपधारा 2 में दिए गए उत्तराधिकार के नियमों को परिवर्तित करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. धारा 15 (2) (बी) में दिए गए प्रावधान के अनुसार उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 16 में निर्धारित क्रम और रीति से होना चाहिए। इसके नियम 3 में यह प्रावधान है कि धारा 15 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (बी), (डी) और (ई) में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों को निर्वसीयत की संपत्ति का हस्तांतरण उसी क्रम और उन्हीं नियमों के अनुसार होगा जैसा कि तब लागू होता यदि संपत्ति पिता या माता या पति की होती, जैसा भी मामला हो और ऐसे व्यक्ति की निर्वसीयत की मृत्यु के तुरंत बाद उसके संबंध में निर्वसीयत मृत्यु हो जाती।

उपरोक्त प्रावधान उत्तराधिकार के क्रम और रीति को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों के लिए एक विधिक परिकल्पना बनाता है। इसमें प्रावधान है कि यही आदेश और यही नियम लागू होगा, यदि ऐसा मामला होता जहां पति, जिससे महिला को संपत्ति विरासत में मिली थी, की पत्नी की मृत्यु के तुरंत बाद बिना वसीयत के मृत्यु हो गई हो।

उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 (2) (बी) के तहत दिए गए उत्तराधिकार के विशेष नियम के पीछे विधायी मंशा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने **भगत राम (सुप्रा)** के मामले में यह माना है,कि यह आवश्यक है कि धारा 15 (2) (बी) में निहित प्रावधानों को धारा 16 नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि विधायी मंशा को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचना का यह एक प्रमुख नियम है कि विधिक परिकल्पना बनाने वाले प्रावधान की विवेचना करते समय, न्यायालय को यह पता लगाना होता है कि परिकल्पना किस उद्देश्य से बनाई गई है। इस प्रकार की मंशा का पता लगाने के पश्चात, न्यायालय को उन सभी तथ्यों और परिणामों को मानना होगा जो परिकल्पना को प्रभावी बनाने वाले आकस्मिक या अपरिहार्य परिणाम हैं। साथ ही, यह भी ध्यान में रखना होगा कि इस तरह से परिकल्पना की व्याख्या करते समय, इसे उसके उद्देश्य से परे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिसके लिए इसे बनाया गया है या यह स्पष्ट रूप से उस धारा की भाषा से परे है जिसके द्वारा इसे बनाया गया है। उद्देश्य का पता लगाने के बाद, वैधानिक परिकल्पना को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए और इसे इसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए। **बॉम्बे राज्य बनाम पांडुरंग विनायक और अन्य, एआईआर 1953 एससी 244 के मामले में, सिद्धांत को निम्नलिखित तरीके से समझाया गया था** -

"5. xxxxxxxxxx

हम इस तर्क का समर्थन करना संभव नहीं पाते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीशों का ध्यान अधिनियम की धारा 15 (1) के अंतिम शब्दों की ओर स्पष्ट रूप से आकर्षित नहीं किया गया। इसमें विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि बॉम्बे जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 7 और 25 के प्रावधान निरसन पर लागू होंगे जैसे कि अध्यादेश एक अधिनियम था। उन शब्दों के उपयोग से अध्यादेश को एक अधिनियम का दर्जा दिया गया था और इसलिए अधिसूचना में आने वाले शब्द "अध्यादेश" को तदनुसार पढ़ा जाना चाहिए और अधिनियम को उन क्षेत्रों तक विस्तारित करना चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक अधिनियम की धारा 15 (1) में उपयोग किए गए अंतिम शब्दों को पूर्ण प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। अधिनियम की धारा 15(1) के अंतिम शब्द उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं जो कॉटन क्लॉथ एंड यार्न (नियंत्रण) आदेश में "प्रावधान" द्वारा प्राप्त किया गया था। धारा 15 के मान्य प्रावधानों के कारण, अधिसूचना में प्रयुक्त भाषा जो अध्यादेश को आवश्यक परिणाम के रूप में उन क्षेत्रों तक विस्तारित करती है, अधिनियम के संचालन को उन क्षेत्रों तक विस्तारित करने का प्रभाव डालती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जब कोई विधि यह अधिनियमित करती है कि कुछ ऐसा किया गया माना जाएगा जो वास्तव में और सच में नहीं किया गया था, तो न्यायालय यह पता लगाने का हकदार और बाध्य है कि किस उद्देश्य के लिए और किन व्यक्तियों के बीच वैधानिक परिकल्पना का सहारा लिया जाना है और वैधानिक परिकल्पना को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए और इसे उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना चाहिए। [देखें लॉर्ड जस्टिस जेम्स इन एक्स पार्टे वाल्टन: इन रे लेवी, (1881) 17 अध्याय डी. 746 पृष्ठ 756 (ए)]। यदि धारा 15 में उल्लिखित वैधानिक परिकल्पना के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि अधिसूचना को उसी शाब्दिक तरीके से व्याख्यायित किया जाए जिस तरह से उच्च न्यायालय द्वारा इसकी विवेचना की गई है, तो उस परिकल्पना का उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जाएगा। ईस्ट एंड ड्वेलिंग्स कंपनी लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल, (1952) ए.सी. 109 (बी) में, लॉर्ड एस्क्विथ ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1947 के प्रावधानों से निपटते समय उसी सिद्धांत का संदर्भ दिया और इस प्रकार टिप्पणी की:-

"यदि आपको किसी काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए कहा जाता है, तो आपको निश्चित रूप से, जब तक ऐसा करने से मना न किया जाए, उन परिणामों और घटनाओं की भी वास्तविक रूप से कल्पना करनी चाहिए, जो यदि कथित स्थिति वास्तव में मौजूद थी, तो अनिवार्य रूप से उससे उत्पन्न हुई होंगी या उसके साथ हुई होंगी।

> यह..... विधि कहती है कि आपको किसी निश्चित स्थिति की कल्पना करनी चाहिए; यह नहीं कहती कि ऐसा करने के बाद, आपको उस स्थिति के अपरिहार्य परिणामों के बारे में अपनी कल्पना को भ्रमित करने का कारण बनना चाहिए या अनुमति देनी चाहिए।"
>
> इस प्रकार, बॉम्बे जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 25 के प्रावधानों को अध्यादेश के निरसन पर लागू घोषित करने और उस अध्यादेश को अधिनियम मानने का परिणाम यह है कि अधिसूचना में जहां भी "अध्यादेश" शब्द आता है, उस शब्द को अधिनियम के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।"

23. विवेचना के उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, वैधानिक परिकल्पना वाले प्रावधानों और भगत राम (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से निपटते समय, 1956 के अधिनियम की धारा 15 (2) (बी) में निहित उत्तराधिकार के विशेष नियम के पीछे विधायी मंशा को निकालते हुए और 1956 के अधिनियम की धारा 16 के नियम 3 में निहित प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव देने के लिए, धारा 15 (2) (बी) में आए 'उत्तराधिकारी' शब्द को व्यापक और व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए। धारा 16 के नियम 3 में निहित प्रावधानों की पृष्ठभूमि में, यह देखा जाना चाहिए कि यदि पति की मृत्यु उसकी पत्नी से पहले हो जाती, तो उत्तराधिकार के माध्यम से संपत्ति किस प्रकार हस्तांतरित होती। सामान्य नियम इस प्रकार प्रदान करता है -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"धारा 8 - पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम** - बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित होगी -
>
> (क) सर्वप्रथम, उत्तराधिकारियों को, जो अनुसूची के वर्ग I में निर्दिष्ट रिश्तेदार हैं;
>
> (ख) दूसरे, यदि वर्ग I का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उत्तराधिकारियों को, जो अनुसूची के वर्ग II में निर्दिष्ट रिश्तेदार हैं;
>
> (ग) तीसरे, यदि दोनों वर्गों में से किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो मृतक के सगे भाइयों को; और (घ) अंत में, यदि कोई सगे भाई नहीं है, तो मृतक के सगे भाइयों को।"

उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार उत्तराधिकार का क्रम खंड (ए), (बी), (सी) और (ए) (घ) में स्पष्ट रूप से बताया गया है। सर्वप्रथम, संपत्ति अनुसूची के वर्ग-I में निर्दिष्ट रिश्तेदार वारिस को हस्तांतरित होगी। यदि वर्ग-I का कोई वारिस नहीं है, तो अगले क्रम

में वे रिश्तेदार होंगे जो अनुसूची के वर्ग-II में निर्दिष्ट हैं। यदि रिश्तेदारों/वारिसों का ऐसा वर्ग भी नहीं है, तो उत्तराधिकार समाप्त नहीं होता है, लेकिन खंड (ग) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि संपत्ति तब मृतक के सगे-संबंधियों को हस्तांतरित होगी। यहां तक कि जब सगे-संबंधी नहीं हैं, तो यह मृतक के सजातीयो को हस्तांतरित होगी। इसलिए, अधिनियम में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट वर्ग-I और वर्ग-II के वारिस ही नहीं, बल्कि वर्ग-I और वर्ग-II के वारिस नहीं होने की स्थिति में सगे-संबंधी और सजातीय भी प्रावधानों में निर्दिष्ट क्रम में उत्तराधिकारी हैं। यह वह नियम है, जिसे उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 16 नियम 3 के साथ धारा 15 (2) (बी) में निहित प्रावधानों को प्रभावी करते समय लागू करना होगा। धारा 8 में उल्लिखित उत्तराधिकार के नियम को प्रभावी करने के लिए, सामान्यतः धारा 15 की उपधारा (2) के अंतर्गत कानूनी उत्तराधिकारी को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए, जिसमें न केवल अनुसूची के वर्ग-I और वर्ग-II में निर्दिष्ट उत्तराधिकारी शामिल हैं, बल्कि सगे और सजातीय भी शामिल हैं। यदि 'वारिस' शब्द को सीमित अर्थ दिया जाता है, तो यह सगे और सजातीय को बाहर कर देगा और धारा 16 के नियम 3 के तहत बनाई गई वैधानिक परिकल्पना को पूर्ण प्रभाव नहीं देगा और महिला द्वारा अपने पति से संपत्ति विरासत में प्राप्त करने की स्थिति में उत्तराधिकार के विशेष नियम को निर्धारित करने के पीछे विधायी मंशा को विफल कर देगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. उपरोक्त निर्णय के आलोक में वैधानिक परिकल्पना के उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि रुखमणी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति सर्वप्रथम वर्ग I के उत्तराधिकारी को तथा उसके अभाव में वर्ग II के उत्तराधिकारी को हस्तांतरित होगी। वर्तमान मामले में तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि परशुराम और उनकी पत्नी रुखमणी की मृत्यु निःसंतान हुई। इस प्रकार अनुसूची में निर्दिष्ट वर्ग I या वर्ग II के उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में, उसके बाद पति के सगे संबंधी होंगे। परशुराम के एकमात्र जीवित सगे संबंधी उसके चचेरे भाई अर्थात् वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 हैं। चूंकि विद्या तिवारी की मृत्यु वाद के लंबित रहने के दौरान हो गई थी।यदि उनकी विधवा छोहाड़ा देवी की भी मृत्यु हो जाती है, तो रुखमणी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति वादी और प्रतिवादियों को बराबर हिस्से में मिलेगी। इसका अर्थ है कि वादी प्रतिवादी क्रमांक 1 रामनारायण के बराबर हिस्से का हकदार होगा। अतः विधि के इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जाता है कि अनुसूची बी

में वर्णित रुखमणी की संपत्ति वादी और प्रतिवादियों को प्राप्त होगी, अतः वादी अनुसूची बी में वर्णित संपत्ति का आधा हिस्सा पाने का हकदार है।

25. विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न (सी) -

वादी ने वाद में तर्क दिया है कि अनुसूची सी की संपत्ति 'मनवार' की भूमि उसके पिता रामप्यारे के पास थी, जो ग्राम जामवंतपुर के 'गौटिया' थे। कंडिका 6 में यह भी तर्क दिया गया है कि यह भूमि 'गौटियायी' भूमि के रूप में प्राप्त हुई थी और रामप्यारे के पास थी। हालांकि, प्रतिवादियों ने अपने लिखित कथन में इस तथ्य को विवादित बताया है कि अनुसूची सी की संपत्ति को स्वर्गीय रामप्यारे ने कभी भी 'मनवार' भूमि के रूप में नहीं रखा था, बल्कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने इसे 'गौटिया' के रूप में रखा था।

इस संबंध में, वादी (PW. 1) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उनके पिता ग्राम जामवंतपुर के गौटिया थे, हालांकि उनका यह कहना है कि उन्हें 'जजमानी' के तहत उक्त भूमि मिली थी। अपने प्रतिपरिक्षण् की कंडिका 12 में उन्होंने कहा है कि उनके पिता के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1 को 'गौटिया' नियुक्त किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया है कि गौटियाई (स्वामित्व/ठेकेदारी) के उन्मूलन के बाद, उनके भाई ग्राम पटेल बन गए और उसी रूप में बने रहे। उन्होंने यह भी कहा है कि 'गौटियाई' भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 के नाम पर बंदोबस्त की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भूपदेव दुबे (PW. 2) का कहना है कि सरगुजा रियासत के दौरान विवादित भूमि रामप्यारे के नाम दर्ज थी। कंडिका 14 में उन्होंने कहा है कि रामप्यारे गांव के 'गौटिया' थे और उन्हें 'गौटिया' की हैसियत से 2 से 21⁄2 एकड़ जमीन 'मनवर' जमीन के तौर पर उन्हे दी गई थी और वादी और प्रतिवादी उस संपत्ति में अपने-अपने अंश के हिस्सेदार हैं। प्रतिपरिक्षण में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इस 'मनवार' भूमि को रामनारायण ने बसाया था। उन्होंने माना कि रामनारायण के साथ-साथ छोहदा देवी ने भी कुछ संपत्तियां बेची थीं। उन्होंने कुछ बंटवारे की बात भी स्वीकार की है।

सरजू प्रसाद सिंह (PW. 3) ने कहा है कि रामप्यारे तिवारी को जामवंतपुर के 'गौटिया' के रूप में 'मनवार' भूमि मिली थी, जिसे बाद में रामनारायण तिवारी के नाम पर नामांतरण कर दिया गया और कुछ संपत्तियां अभी भी संयुक्त हैं। हालांकि, प्रतिपरिक्षण में उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि रामप्यारे की मृत्यु के बाद रामनारायण को 'गौटिया' नियुक्त किया गया था, उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 भूमि पर खेती कर रहा है।

बनारसी दुबे (PW.4) ने भी अपने साक्ष्य कथन की कंडिका 4 में इसी प्रकार का कथन किया है। हालांकि, प्रतिपरिक्षण में उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि प्रतिवादी को 'मनवार' भूमि कैसे मिली।

26. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने बचाव पक्ष के प्रथम गवाह के रूप में स्वयं की जांच कराइ है तथा अपने साक्ष्य में उसने यह प्रमाणित किया है कि उसके गांव में 3 एकड़ 90 डिसमिल भूमि 'मनवर' भूमि है तथा उसके पिता अपने जीवनकाल में गांव के 'गौटिया' थे तथा रियासत के समय उसके पिता की मृत्यु हो गई तथा उसके पश्चात वह 'गौटिया' हो गया, जिस पर वह लगभग एक वर्ष तक रहा, जब तक कि उसे पटेल के रूप में नियुक्त नहीं कर दिया गया तथा उस समय सरगुजा रियासत समाप्त हो गई थी तथा 'गौटियायी' भूमि उसके नाम पर बंदोबस्त हो गई थी। अपने प्रतिपरिक्षण में उसने स्वीकार किया है कि उसके पिता अपने जीवनकाल में 'गौटिया' थे तथा इस बात से इंकार किया है कि उसे 'गौटिया' नियुक्त नहीं किया गया था। यद्यपि उसने कहा है कि उसके पास 'गौटिया' होने का प्रमाण-पत्र है, परंतु उसे प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपने प्रतिपरिक्षण की कंडिका 9 में उसने स्वीकार किया है कि उसके पिता की संपत्ति संयुक्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. यद्यपि प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में इस बात से इनकार किया है कि उसके पिता रामप्यारे को कभी जामवंतपुर गांव का 'गौटिया' नियुक्त किया गया था, वादी के साक्ष्य जिसमें प्रतिवादी द्वारा स्वयं अपने साक्ष्य में जिसमें स्वीकारोक्ति भी शामिल है, से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि उनके पिता रामप्यारे अपने जीवनकाल में जामवंतपुर गांव के 'गौटिया' थे। यद्यपि प्रतिवादी रामनारायण का दावा है कि वह राज्य के

समय में ही 'गौटिया' बन गया था, लेकिन यह अभिवचन सरगुजा रियासत के किसी भी अभिलेख या पुराने राजस्व कानूनों के तहत बनाए गए राजस्व के अन्य अभिलेखों में निहित किसी भी ऐसे पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि उसके पिता की मृत्यु के बाद वह 'गौटिया' बन गया था। उन्होंने यह साबित करने के लिए किसी अन्य गवाह का परिक्षण भी नहीं किया है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी क्रमांक 1 को अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों को छोड़कर अपने अधिकार में 'गौटिया' के रूप में नियुक्त किया गया था जो प्रतिवादी क्रमांक 1 के साथ अपने पिता रामप्यारे की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी बने थे।

28. निम्न विद्वान न्यायालयों द्वारा अनुसूची सी की सम्पत्ति - 'गौटियायी' भूमि के सम्बन्ध में वादी के दावे को खारिज करने का एक मुख्य आधार यह है कि 1951 के अधिनियम के अन्तर्गत स्वामित्व अधिकारों के उन्मूलन के समय अनुसूची सी की सम्पत्ति, जिसका क्षेत्रफल 3.99 एकड़ था, प्रतिवादी के नाम पर 'रैयती' (किराएदार) के रूप में बंदोबस्त थी। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि जिस समय 'ठेकेदार/गौटिया' के स्वामित्व अधिकारों का उन्मूलन किया जा रहा था तथा उन्हें 1951 के अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत पारित आदेशों द्वारा सीमित प्रकृति के काश्तकारी अधिकार प्रदान किए जा रहे थे, तब भी परिवार के अन्य सदस्यों के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति थी तथा केवल इसलिए कि यह परिवार के सदस्यों में से किसी एक, सबसे बड़े जीवित पुत्र के नाम पर दर्ज थी, वह सम्पत्ति के अन्य सभी सह-स्वामियों को छोड़कर वैधानिक काश्तकार नहीं बन जाता। इस विधिक स्थिति पर **श्रीमती रामबती बाई (सुप्रा)** के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया गया। उस मामले में यह प्रश्न उठा कि मध्य प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, 1917 (संक्षेप में '1917 का अधिनियम') के अंतर्गत 'महफूजा'/संरक्षित 'ठेकेदार' के पास किस प्रकार की संपत्ति थी तथा ऐसी संपत्ति के संबंध में ऐसे संरक्षित 'ठेकेदार' के परिवार के अन्य सदस्यों के क्या अधिकार हैं? अधिनियम, 1917 की धारा 109 के अंतर्गत निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न पर निम्नलिखित रूप से विचार किया गया -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, मध्य प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, 1917 की धारा 109 में निहित प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है: -

"109. (1) संरक्षित ठेकेदार के कार्यकाल की घटनाएँ निम्नानुसार होंगी:-
(क) कार्यकाल -
(i) अविभाज्य होगा;
(ii) अहस्तांतरणीय: और
(iii) किसी सिविल न्यायालय के किसी भी निर्णय के निष्पादन में बिक्री या फौजदारी के दायित्व से मुक्त होगा: बशर्ते कि-
(i) इसमें निहित कोई भी बात संरक्षित ठेकेदार, या उसके परिवार के किसी भी सदस्य या सदस्यों को, जो ठेके में हिस्सा लेने या उसकी आय से भरण-पोषण करने का हकदार होगा, गाँव या उसके किसी भाग की कोई व्यवस्था करने और उसका आनंद लेने से नहीं रोकेगी;
(ii) संरक्षित ठेकेदार का अधिकार, उपायुक्त की मंजूरी के अधीन, सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 का द्वितीय) के अंतर्गत पंजीकृत किसी समिति के पक्ष में दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकेगा;

(ख) उत्तराधिकार मृतक ठेकेदार के व्यक्तिगत कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्थात्:-

(i) एक समय में केवल एक ही व्यक्ति उत्तराधिकारी होगा;

(ii) जहां मृतक ठेकेदार से समान संबंध वाले कई व्यक्ति हैं, वहां समान पूर्वज से वंश में वरिष्ठ को कनिष्ठ की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी, और जहां समान वंश वरिष्ठता वाले कई व्यक्ति हैं, वहां सबसे बड़े को अन्य की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी: बशर्ते कि मृतक ठेकेदार से समान संबंध रखने वाले ऐसे व्यक्तियों में से, जो उसकी मृत्यु के समय उसके साथ संयुक्त संपत्ति में था, उसे उस व्यक्ति की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी जो संयुक्त संपत्ति में नहीं था;

(iii) यदि कई विधवाएं हैं, तो विवाह की तिथि के अनुसार वरिष्ठ को अन्य की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी;

(iv) उत्तराधिकारी बनने का हकदार व्यक्ति अपने अधिकारों का त्याग कर सकता है और उसके पश्चात मृतक ठेकेदार के उत्तराधिकार के क्रम में अगला व्यक्ति उत्तराधिकारी बनेगा;

(c) संरक्षित ठेकेदार, चाहे वह लिखित पट्टे के तहत हो या मौखिक समझौते के तहत, पट्टे की समाप्ति पर अपने पट्टे या समझौते के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नवीनीकरण का हकदार होगा और ऐसे किसी भी नवीनीकरण की स्थिति में धारा 108 के प्रावधान लागू होंगे;

(घ) समस्त विविध बकाया और उपकर, जब तक कि आयुक्त द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न किया जाए, ठेकेदारी में सम्मिलित किए जाएंगे।

(2) भारतीय पंजीकरण अधिनियम (XVI of 1908) में किसी बात के होते हुए भी, दस्तावेज पंजीकृत करने के लिए अधिकृत कोई भी अधिकारी किसी ऐसे दस्तावेज को पंजीकरण के लिए स्वीकार नहीं करेगा, जो किसी संरक्षित ठेकेदार के अधिकारों या अधिकारों के किसी भाग को उपधारा (1), खंड (क), परंतुक (ii) में दिए गए प्रावधान के सिवाय स्थानांतरित करने का अभिप्राय रखता हो।

(3) यदि कोई संरक्षित ठेकेदार उपधारा (1) के खंड (क) परंतुक (ii) में दिए गए प्रावधानों के सिवाय अपने अधिकारों का कोई भाग हस्तांतरित करता है और हस्तांतरिती हस्तांतरण के अनुसरण में कब्जा प्राप्त कर लेता है, तो उपायुक्त स्वप्रेरणा से या इसके पश्चात वर्णित किसी व्यक्ति के आवेदन पर संबंधित गांव या गांव के किसी भाग को हस्तांतरित करने वाले ठेकेदार या किसी सह-हिस्सेदार या ऐसे व्यक्तियों के अभाव में स्वामी को इस शर्त के अधीन कब्जा दे सकता है कि इस प्रकार कब्जा दिए गए व्यक्ति को ठेकेदारी के बकाया के लिए हस्तांतरित ठेकेदार के दायित्वों को स्वीकार करना होगा; परंतु, कब्जा दिए जाने के इच्छुक कई सह-हिस्सेदारों में से उपायुक्त उस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय देगा जो उपधारा (1) के अधीन ठेकेदार की मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी बनने का हकदार होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टीकरण I.- उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए संरक्षित ठेकेदार द्वारा अपने अधिकारों का समर्पण उपधारा (1) के उल्लंघन में अंतरण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण II.- इस धारा में तथा धारा II के तीसरे परंतुक में 'सह-हिस्सेदार' का तात्पर्य संरक्षित ठेकेदार के साथ संयुक्त कोई व्यक्ति होगा तथा पट्टे के लाभ में हिस्सा पाने का हकदार होगा। ... ...”

16. उपर्युक्त प्रावधान का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर यह पता चलेगा कि संपत्ति की प्रकृति अधिनियम, 1917 की धारा 109 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन अविभाज्य तथा अविभाज्य होगी, जो संरक्षित ठेकेदार या उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को गांव या उसके किसी भाग के संयुक्त या विभाजित प्रबंधन तथा

उपभोग के लिए स्वयं पर बाध्यकारी कोई व्यवस्था करने का अधिकार देता है।

17. 1917 के अधिनियम के तहत संरक्षित ठेका द्वारा धारित भूमि की प्रकृति और संरक्षित ठेकेदार के परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकारों पर प्रिवी काउंसिल द्वारा प्रथम बार **ठाकुर भगवान सिंह बनाम दरबारसिंह एआईआर 1928 प्रिवी काउंसिल 96** जिसमें प्रिवी काउंसिल ने माना कि हालांकि संरक्षित ठेका द्वारा धारित भूमि अविभाज्य भूमि होगी, फिर भी, यह संरक्षित ठेकेदार और उसके परिवार की संयुक्त संपत्ति होगी और संक्षेप में निम्नानुसार टिप्पणी की गई: -

> "संरक्षित ठेकादार की स्थिति यह है कि अधिनियम की धारा 108 के तहत, वह ठेका में शामिल भूमि को राजस्व अधिकारी द्वारा जांच के बाद तय की गई शर्तों पर पट्टे के तहत रखता है, लेकिन मालिक द्वारा निष्पादित (या राजस्व अधिकारी द्वारा उसके लिए इनकार करने के मामले में), अधिनियम की धारा 111 में दिए गए अनुसार जब्ती, जब्ती का एक आधार काबुलियत या पट्टे के समकक्ष को निष्पादित करने से इनकार करना है। पट्टे की समाप्ति पर वह धारा 109 की उपधारा (1) के खंड (सी) के तहत नवीनीकरण का हकदार है, और उसी उपधारा के खंड (ए) और (बी) के तहत, उसका कार्यकाल अविभाज्य और अहस्तांतरणीय बना दिया गया है, और यह प्रावधान है कि उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकार को मृतक ठेकेदार के व्यक्तिगत कानून द्वारा विनियमित किया जाना है, इस शर्त के अधीन कि एक समय में केवल एक व्यक्ति ही उत्तराधिकारी होगा और उस व्यक्ति को उसमें दिए गए अनुसार चुना जाएगा। यह ठेकेदार की स्थिति होने के नाते, यह उनके स्वामित्व की राय में है, कि वह पट्टेदार के रूप में, किसी भी दर पर, इसके बाद उल्लिखित व्यवस्था की अनुपस्थिति में, पट्टेदार के रूप में कब्जे का हकदार है। साथ ही अधिनियम यह भी मानता है कि पट्टा-स्वामित्व हित, यद्यपि अविभाज्य है, फिर भी ठेकेदार और उसके परिवार की संयुक्त संपत्ति हो सकती है; और धारा 109 की उपधारा (1) के धारा 109 (क) में यह प्रावधान है कि इसमें निहित कोई भी बात संरक्षित ठेकेदार या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को, जो ठेके में हिस्सा लेने या उसकी आय से भरण-पोषण पाने के हकदार होंगे, गांव या उसके किसी भाग के संयुक्त या विभाजित प्रबंधन और उपभोग के लिए केवल स्वयं पर बाध्यकारी कोई व्यवस्था करने से नहीं रोकेगी।

यह सुझाव नहीं दिया गया है कि इस मामले में ठेकेदार को बाध्य करने वाली कोई ऐसी व्यवस्था थी।

धारा 112 इस प्रकार है:

धारा 227 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन, जिला आयुक्त, संरक्षित ठेकेदार के परिवार के किसी भी सदस्य के आवेदन पर, जो उसकी आय से भरण-पोषण पाने का हकदार है, ठेका परिवार के किसी ऐसे सदस्य को हस्तांतरित कर सकता है जो उसके बाद संरक्षित ठेकेदार बन जाएगा: बशर्ते कि इस तरह हटाए जाने से हटाए गए संरक्षित व्यक्ति को ठेका में उसके हित से वंचित नहीं किया जाए।

यह उपाय निस्संदेह परिवार के अन्य सदस्यों को विभाजन के लिए मुकदमा करने के अधिकार के बदले में दिया गया है, जिससे उन्हें क़ानून द्वारा ठेका को अविभाज्य बनाए जाने के परिणामस्वरूप वंचित किया गया है।

(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. प्रिवी काउंसिल द्वारा ठाकुर भगवान सिंह (सुप्रा) में निर्धारित कानून के सिद्धांत का नागपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा चंदूलाल बनाम पुष्कर राज और अन्य, एआईआर 1952 नागपुर 271 के मामले में अनुमोदन के साथ पालन किया गया था, जिसमें इस प्रस्ताव को दोहराया गया था कि पट्टा-धारिता हित, हालांकि अविभाज्य है, फिर भी ठेकेदार और उसके परिवार की संयुक्त संपत्ति हो सकती है और यह संरक्षित ठेकेदार की अनन्य संपत्ति नहीं होगी, और निम्नानुसार टिप्पणी की गई: -

"(17) यह सर्वथा स्वीकार्य दृष्टिकोण रहा है कि 'ठेकेदार' को संरक्षित दर्जा दिए जाने से 'ठेका' उस व्यक्ति की अनन्य संपत्ति नहीं बन जाता है जिसे संरक्षित दर्जा प्रदान किया गया है। ...

> (18) संरक्षित 'ठेकेदार' काश्तकारी की प्रकृति और प्रभाव पर प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप द्वारा 'भगवान सिंह बनाम दरबार सिंह', 24 नाग एलआर 179 में विचार किया गया। उनके लॉर्डशिप ने टिप्पणी की कि भूमि राजस्व अधिनियम, 1917 यह मान्यता देता है कि पट्टा-धारिता हित, यद्यपि अविभाज्य है, फिर भी 'ठेकेदार' और उसके परिवार की संयुक्त संपत्ति हो सकती है। ..."

19. 1917 के अधिनियम की धारा 109 (1) में निर्धारित उपरोक्त प्रावधान और ठाकुर भगवान सिंह (सुप्रा) में प्रिवी काउंसिल द्वारा तथा चंदूलाल (सुप्रा) में नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त दो निर्णयों में निर्धारित विधि के सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि संरक्षित ठेकेदार संरक्षित 'ठेका' का एकमात्र स्वामी नहीं होगा तथा 1917 के अधिनियम की धारा 109 संपत्ति को अविभाज्य तथा अहस्तांतरणीय बनाती है, फिर भी यह ठेकेदार तथा उसके परिवार की संयुक्त संपत्ति होगी तथा परिवार के अन्य सदस्य ठेका में हिस्सा लेने अथवा इसकी आय से भरण-पोषण करने के हकदार होंगे, लेकिन वे ठेका के विभाजन के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इस स्तर पर, संरक्षित ठेकेदार की स्थिति के संबंध में 1950 के अधिनियम में निहित प्रावधानों द्वारा शामिल किए गए विधायी परिवर्तन पर ध्यान देना उचित होगा, जो 26-1-1951 से प्रभावी हुआ, जिसमें 1950 के अधिनियम की धारा 3 राज्य में मालिकाना अधिकारों के निहित होने के बारे में बताती है। इसके अलावा, 1950 के अधिनियम की धारा 39 उप-आयुक्त के आदेश द्वारा संरक्षित ठेकेदार को अधिभोगी काश्तकार का अधिकार प्रदान करती है। इसी प्रकार, धारा 54 किसी स्वामी या काश्तकार को रैयती अधिकार प्रदान करती है। 1950 के अधिनियम की धारा 3, 39 और 54 इस प्रकार हैं: -

> **" 3. राज्य में मालिकाना अधिकारों का निहित होना।**--(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, यथास्थिति, किसी संपदा, महल, हस्तान्तरित गांव या हस्तान्तरित भूमि में सभी मालिकाना अधिकार, ऐसी संपदा, महल, हस्तान्तरित गांव, हस्तान्तरित भूमि के स्वामी में या स्वामी के माध्यम से ऐसे मालिकाना अधिकार में हित रखने वाले किसी व्यक्ति में निहित होते हुए, ऐसे स्वामी या ऐसे अन्य व्यक्ति से राज्य के

प्रयोजनों के लिए सभी भारग्रस्तताओं से मुक्त होकर राज्य में हस्तान्तरित हो जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात, उक्त अधिसूचना से संबंधित भूमि में या उस पर कोई अधिकार उत्तराधिकार द्वारा या राज्य द्वारा या उसकी ओर से किए गए लिखित अनुदान या अनुबंध के अधीन के सिवाय अर्जित नहीं किया जाएगा; और ऐसी भूमि पर खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई नई सफाई नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार ही की जाए।

(3) उपधारा (1) के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक तिथियां निर्दिष्ट की जा सकेंगी।

(4) राज्य सरकार उपधारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि में ऐसी तिथि से पूर्व किसी भी समय परिवर्तन कर सकेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. संरक्षित ठेकेदार, अन्य ठेकेदार या संरक्षित मुखिया आदि को काश्तकारी अधिकार का प्रोद्भूत होना--(1) जहां संरक्षित ठेकेदार या अन्य ठेकेदार या संरक्षित मुखिया या किसी अन्य अधीनस्थ काश्तकार द्वारा धारित स्वामित्व अधिकार धारा 3 के अंतर्गत राज्य में निहित हैं, वहां उपायुक्त ऐसे स्वामी के लिए गृह-कृषि भूमि के संपूर्ण या भाग में अधिभोगी काश्तकार के अधिकार सुरक्षित रख सकेगा और उस पर किराया निर्धारित करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन अधिभोगी काश्तकार बनता है, वह राज्य का काश्तकार होगा।

54. स्वामी या काश्तकार को रैयती अधिकार का उपार्जन-(1) जहां गृह-फार्म में शामिल न की गई कोई भूमि स्वामी की निजी खेती के अधीन थी, वहां उपायुक्त राज्य द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उस भूमि को अधिभोगी काश्तकार के अधीन कर सकेगा। सरकार इस संबंध में ऐसे स्वामी के लिए ऐसी भूमि के पूरे या हिस्से में रैयत के अधिकार सुरक्षित रखेगी और उस पर राजस्व का निर्धारण करेगी।

(2) जहां धारा 3 के तहत एक कार्यकाल के अंतर्गत धारित मालिकाना अधिकार राज्य में निहित हैं, डिप्टी कमिश्नर ऐसे कार्यकाल के अंतर्गत घर-खेत की पूरी या हिस्से की भूमि में

> रैयत के अधिकार सुरक्षित रख सकते हैं और उस पर राजस्व का निर्धारण करेंगे।

इस प्रकार विचार करने के बाद, यह भी जांच की गई कि क्या 'ठेकेदार', अधिनियम, 1917 की धारा 109 के तहत अविभाज्य और अहस्तांतरणीय होने के नाते, अन्य सह-हिस्सेदारों के पास संरक्षित ठेकेदार के साथ किसी भी भूमि पर संयुक्त रूप से या विशेष रूप से कब्जा बनाए रखने का कोई हित और दावा था, यह माना गया -

"23. अधिनियम 1950 के बाद संरक्षित ठेकेदारी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में ऊपर लाया गया और देखा गया परिवर्तन एम.पी. उच्च न्यायालय ने **मनीराम मकसूदन बनाम रामदयाल मकसूदन और अन्य, एआईआर 1960 एमपी 7** के मामले में यह निर्णय दिया था जिसमें प्रश्न यह था कि क्या ठेका 1917 के अधिनियम की धारा 109 के तहत अविभाज्य और अहस्तांतरणीय है, अन्य सह-हिस्सेदारों का कोई हित है और वे संरक्षित ठेकेदार के साथ किसी भी भूमि पर संयुक्त रूप से या विशेष रूप से कब्जा बनाए रखने का दावा कर सकते हैं। म.प्र. उच्च न्यायालय ने **ठाकुर भगवान सिंह** (सुप्रा) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय और **चंदूलाल** (सुप्रा) में नागपुर उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए तथा **शिव प्रसाद साव बनाम श्रीमती सुखमबाई, एल.पी.ए. संख्या 19/1949, दिनांक 30-11-1954 (नाग)** के मामले में अपने अन्य निर्णय पर भरोसा करते हुए माना कि ठेकेदारी संपत्ति 1950 के बाद सह-हिस्सेदारों के बीच विभाजित हो गई और निम्नानुसार अवलोकन किया: -

> "(7) इस प्रकार यह देखा जाएगा कि यद्यपि सी.पी. भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 109 में यह उल्लेख है कि ठेका ज्येष्ठाधिकार से प्राप्त होगा, ठेके में हिंदू परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकार जारी रहेंगे, यद्यपि वे ठेके में भूमि का विभाजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं या उनके बीच किसी व्यवस्था के अभाव में ठेके से संबंधित किसी भी भूमि पर कब्जा करने का दावा नहीं कर सकते हैं। संरक्षित ठेकेदार के लिए ठेके से जुड़ी भूमि को विभाजित करने के लिए अपने सह-हिस्सेदारों के साथ समझौता करने हेतु स्वतंत्र हैं और ऐसी पारिवारिक व्यवस्था सह-हिस्सेदारों पर बाध्यकारी होगी। इस प्रकार 1935 में पक्षों के बीच किए गए विभाजन में पारिवारिक व्यवस्था का स्वरूप था और भले ही भूमि ठेका कानून के तहत अविभाज्य है, किन्तु व्यवस्था सभी पक्षों पर बाध्यकारी थी।
>
> (8) ... ...
>
> यह माना गया कि ठेकेदारी संपत्ति के मुनाफे में हिस्सेदारी के लिए वाद लाना उचित नहीं था। आईएलआर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 1952 नाग 318: (एआईआर 1952 नाग 271) (सुप्रा) में ठेका भूमि के संयुक्त परिवार के स्वरूप के बारे में लिया गया दृष्टिकोण, जो 24 नाग एलआर 179: (एआईआर 1928 पीसी 96) में प्रिवी काउंसिल के लॉर्डशिप के निर्णय पर आधारित है, उस निर्णय में विवेचित नहीं किया गया था। श्री वर्मा द्वारा मामले में जिन टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है, वे उन निर्णयों के विपरीत नहीं हैं। स्थिति यह है कि ठेका भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति बनी हुई है, भले ही किसी भी वर्ष के लाभ के लिए सह-हिस्सेदार द्वारा वाद निरंतर नहीं रखा जा सकता है।
>
> (9) ... ...
>
> मैं सहमत हूं कि संरक्षित ठेकेदार के अधिकारों के उन्मूलन के पश्चात यह स्थिति होगी। स्वीकृत दृष्टिकोण के अनुसार ठेका की भूमि संरक्षित ठेकेदार के संयुक्त परिवार के पास होती है, हालांकि यह भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 109 द्वारा लगाए गए स्पष्ट परिसीमा के अधीन थी। संरक्षित अधिकारों के उन्मूलन के पश्चात, यह प्रतिबंध लुप्त हो गए और संयुक्त हिंदू परिवार की भूमि के रूप में भूमि का सामान्य स्वरूपच बहाल हो गया। इसलिए, वे 1950 के बाद सह-हिस्सेदारों के बीच विभाजित हो गए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. इस प्रकार, उपरोक्त विधिक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि संरक्षित ठेका की संपदा जो कि परिवार के सदस्यों की संयुक्त संपत्ति थी, जिसमें विभाजन के लिए वाद लाने का कोई अधिकार नहीं था, वह बिना किसी वैधानिक प्रतिबंध के सामान्य संयुक्त हिंदू सहदायिक पारिवारिक संपत्ति बन गई और 1950 के अधिनियम के लागू होने के बाद सह-हिस्सेदारों के बीच विभाजित हो गई, जैसा कि मप्र उच्च न्यायालय ने मणिराम मकसूदन (सुप्रा) में माना था, जो इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी है, क्योंकि वह मप्र उच्च न्यायालय द्वारा 1-11-2000 से पहले दिया गया निर्णय था।

25. मप्र भू-राजस्व संहिता, 1954 (संक्षेप में, '1954 की संहिता') 12-2-1955 से प्रभावी हुई। सबसे पहले इसे महाकोशल क्षेत्र तक विस्तारित किया गया था, लेकिन मप्र द्वारा। विधि अनुकूलन (राज्य एवं समवर्ती विषय) आदेश, 1956 के अनुसार इसे सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में 1-11-1956 से लागू किया गया। संहिता 1954 की धारा 147 (क) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

> **"147. भूमिधारी**- प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के लागू होने पर निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक से संबंधित है, भूमिधारी कहलाएगा तथा उसे इस संहिता द्वारा या इसके अधीन भूमिधरी को प्रदान किए गए या लगाए गए सभी अधिकार होंगे तथा वह सभी दायित्वों के अधीन होगा, अर्थात्:-
> (क) महाकौशल क्षेत्र में अधिभोगी काश्तकार के रूप में उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति, विलय किए गए प्रदेशों को छोड़कर।"

26. अतः 1954 की संहिता के लागू होने के पश्चात्, महाकोशल क्षेत्र में अधिभोगी काश्तकार के रूप में उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति, 1954 की संहिता के अंतर्गत भूमिधारी हो गया। "महाकोशल क्षेत्र" शब्द को म.प्र. विधि अनुकूलन (राज्य एवं समवर्ती विषय) आदेश, 1956 की धारा 2 (1) (च) में परिभाषित किया गया है तथा इसमें रायपुर जिला भी सम्मिलित है, जहां वाद भूमि स्थित है, जो इस प्रकार है:-

> "(च) "महाकोशल क्षेत्र" से तात्पर्य मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर, सागर, दमोह, मंडला, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, निमाड़, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ एवं बालाघाट जिलों में सम्मिलित क्षेत्र से है, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान थे;"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. **रामबती** (सुप्रा) के मामले में प्रतिपादित उपरोक्त विधिक स्थिति के मद्देनजर, अधिनियम 1951 की धारा 54 के तहत पारित समझौता आदेश के बावजूद, परिवार के किसी एक सदस्य के नाम पर, यह स्थापित किया जा सकता है कि संपत्ति उचित अभिवचनों और साक्ष्यों के आधार पर संयुक्त परिवार की संपत्ति थी।

टेकाराम (सुप्रा) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ के फैसले में, उपरोक्त विधिक स्थिति की जांच नीचे दी गई है -

> "7. चूंकि हमने पाया है कि वादी और प्रतिवादी 1 और 2 सह-हिस्सेदार और हिंदू संयुक्त परिवार के सदस्य थे, इसलिए पूरी सर और खुदकाश्त भूमि अनिवार्य रूप से उनकी संयुक्त परिवार की संपत्ति होगी। यद्यपि संरक्षित ठेकेदारी को सह-हिस्सेदारों में से एक के पक्ष में मान्यता दी गई थी और वह ठेकेदारी निष्पक्ष थी, इसका मतलब यह नहीं था कि संरक्षित ठेकेदार के सह-हिस्सेदारों का उस ठेकेदारी से संबंधित सर और खुदकाश्त भूमि में कोई भी हित नहीं था। यह स्थिति मध्य प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, 1917 की धारा 109 की उपधारा (1) के

पूर्व प्रावधान के अनुसार पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त थी, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान था:-

> "इसमें निहित कोई भी बात संरक्षित ठेकेदार या उसके परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों को, जो ठेके में हिस्सा लेने या उसकी आय से भरण-पोषण करने का हकदार होगा, गांव या उसके हिस्से के संयुक्त या विभाजित प्रबंधन और आनंद के लिए कोई भी व्यवस्था करने से नहीं रोकेगी, जो केवल खुद पर बाध्यकारी होगी।"

अब यह पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है कि यदि ऐसी व्यवस्था की जाती है, तो यह न केवल उस व्यवस्था के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगी, बल्कि उनके उत्तराधिकारियों पर भी बाध्यकारी होगी, जो व्यवस्था के उल्लंघन में स्थापित किसी भी दावे के विरुद्ध व्यवस्था के तहत अपने अधिकारों को लागू कर सकते हैं। इस कानूनी स्थिति को इस न्यायालय की खंडपीठ के 30 नवंबर 1954 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 49/1949 के निर्णय से समर्थन मिलता है। हमें, ऊपर बताई गई कानूनी स्थिति को देखते हुए, यह मानना होगा कि पारिवारिक व्यवस्था वादी के लाभ के लिए हुई थी और उन्हें उस व्यवस्था के तहत आवंटित भूमि पर दावा करने का अधिकार था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. उपर्युक्त विधिक स्थिति को वर्तमान मामले में लागू करने पर यह स्पष्ट है कि यद्यपि उप आयुक्त द्वारा अधिनियम 1950 की धारा 54 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा ठेकेदारी के मालिकाना हक को समाप्त कर दिया गया था तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम रैयती (किराएदार) के रूप में दर्ज किया गया था, तथापि पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दलीलों एवं साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि यह भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता रामप्यारे के पास गौटिया (स्वामी/ठेकेदार) के रूप में थी। यद्यपि प्रतिवादी ने अपने कथन में इस तथ्य से इन्कार किया है, किन्तु अपने साक्ष्य में उसने इस तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसके पिता अपने जीवनकाल में ग्राम जामवन्तपुर के गौटिया थे। यदि ऐसा था, तो प्रतिवादी को यह स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करना था कि प्रतिवादी और उनके भाई मृतक रामप्यारे के पुत्र होने के बावजूद 'गौटियायी' भूमि पर सह-हिस्सेदार के रूप में उत्तराधिकार प्राप्त किया, वादी और स्वर्गीय विद्या तिवारी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में अपना हिस्सा त्याग दिया। इस आशय की न तो कोई अभिवचन है और न ही प्रतिवादी का कोई साक्ष्य। वास्तव में,

प्रतिवादी का बचाव यह था कि उसके पिता की मृत्यु के बाद, वह उस गाँव का गौटिया बन गया। लेकिन स्व-सेवा कथन को छोड़कर, प्रतिवादी द्वारा यह साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया गया है कि वह अपने अधिकार में गौटिया बन गया। अतः एकमात्र तथ्य जो स्थापित कहा जा सकता है, वह यह है कि मृतक के पिता द्वारा प्राप्त स्वामित्व, उनकी मृत्यु के पश्चात, वादीगण के परिवार के पास जारी रहा तथा स्वामित्व अधिकारों के उन्मूलन के समय, भूमि को काश्तकार के रूप में बंदोबस्त करते समय, बड़े जीवित पुत्र रामनारायण/प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम दर्ज किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 1 के हाथों में बंदोबस्त की गई अनुसूची सी संपत्ति के संबंध में उक्त काश्तकारी, इसलिए संयुक्त परिवार की संपत्ति के हाथों में थी, जिसमें वादी, प्रतिवादी क्रमांक 1 तथा उसका भाई सह-हिस्सेदार थे तथा प्रत्येक को 1/3 हिस्सा मिलता था। विद्या तिवारी तथा उसके पश्चात उनकी विधवा की मृत्यु के पश्चात, उनके कोई संतान न होने पर, केवल वादी तथा प्रतिवादी ही अनुसूची सी संपत्ति में बराबर हिस्सेदार रह गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न (डी) -

निम्न विद्वान न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादी का वाद, जहां तक अनुसूची सी संपत्ति के दावे का संबंध है, उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती न दिए जाने के कारण समय-सीमा के कारण वर्जित है। प्रदर्श डी/3 के अनुसार, यह विधिक आधार है कि ऐसा आबंटन विशेष रूप से प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में किया गया था, जिसमें उनके सह-स्वामियों को शामिल नहीं किया गया था। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिस कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रदर्श डी/2 आदेश पारित हुआ था, उसमें वादी या उसके भाई विद्या तिवारी ने स्वीकार किया था कि उनका कोई हिस्सा नहीं था और संपत्ति का निपटान केवल प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में किया जाना था, जिसमें उनका कोई हिस्सा नहीं था। इसलिए, प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में उपायुक्त द्वारा धारा 54 के तहत पारित आदेश के बावजूद, चूंकि संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति बनी हुई है,वादी के लिए विभाजन की मांग करना खुला था और यह नहीं कहा जा सकता कि निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त आदेश को चुनौती न देना अपीलकर्ता/वादी को उस संपत्ति पर दावा करने के लिए अनुपयुक्त होगा जो वादी और प्रतिवादी क्रमांक 2 की

संयुक्त पारिवारिक संपत्ति पाई जाती है। (प्रतिवादी क्रमांक 2 की इस अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई)

32. परिणामस्वरूप, कानून के चार प्रश्नों का उत्तर ऊपर बताए गए तरीके से दिया गया है। विवादित निर्णय और डिक्री, इस सीमा तक कि यह अनुसूची बी और अनुसूची सी संपत्तियों के संबंध में वादी के दावे को खारिज करती है, कानून में अवैध और निष्क्रिय मानी जाती है और इसे रद्द कर दिया जाता है, हालांकि निचली अपीलीय न्यायालय और विचारण् न्यायालय के फैसले में वादी/अपीलकर्ता को अनुसूची ए और अनुसूची डी संपत्ति में हिस्सेदारी का हकदार घोषित किया गया है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया।

33. परिणामस्वरूप, यह माना जाता है कि अनुसूची बी और अनुसूची सी में वर्णित संपत्ति के संबंध में मूल वादी - रामसरीख और मूल प्रतिवादी - रामनारायण तथा मूल प्रतिवादी - छोहाड़ा देवी समान हिस्से के हकदार हैं। हालांकि, मूल वादी और प्रतिवादी - रामनारायण और छोहाड़ा देवी, सभी की मृत्यु हो चुकी है। चूंकि छोहाड़ा देवी और विद्या तिवारी निःसंतान थीं, इसलिए केवल वादी और प्रतिवादी क्रमांक 1 के उत्तराधिकारी - रामनारायण ही अनुसूची बी और अनुसूची सी में वर्णित संपत्ति में समान हिस्से के हकदार होंगे, इसके अलावा वादी - रामसरीख के पक्ष में नीचे के विद्वान न्यायालयों द्वारा अनुसूची ए और बी में वर्णित संपत्ति के संबंध में पहले ही घोषणा की जा चुकी है।

34. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। तदनुसार अपीलीय डिक्री तैयार की जाए। पक्षकार अपने-अपने खर्चे वहन करें।

सही/-
(मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur